लघु पन-बिजली परियोजनाओं के लिए स्थलों का चयन

*139. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लघु पन-बिजली परियोजनाएं स्थापित करने हेतु स्थलों का चयन करने के लिए कार्य-वाही आरंभ कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए स्थलों का चयन करते समय किन-किन घटकों को वरीयता दी जाती है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए अब तक कौन-कौन से स्थलों का चयन किया गया है तथा इन परियोजनाओं के निर्माण-कार्य की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) ने हाल ही में छोटी नदियों/स्ट्रीमों और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे जल-प्रवाहों का उपयोग करके बनाई गई विद्यमान नहरों में उपलब्ध जल-विद्युत शक्यता का पता लगाने के लिए अध्ययन किया है । इस अध्ययन से देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में छोटी नदियों/स्ट्रीमों पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य लघु जल-विद्युत शक्यता स्थलों और विद्यमान नहरों के प्रवाहों पर लघु/मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीमों का पता लगाया जा सकेगा ।

(ख) लघु नदियों/स्ट्रीमों और नहरों पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य लघु जल-विद्युत शक्यता स्थलों का पता लगाने के मामले में निम्नलिखित घटक महत्वपूर्ण हैं :—

(1) उपलब्ध रन-ऑफ सहित संकेन्द्रित जल-प्रवाह की उपलब्धता,

(2) आबाद इलाकों की निकटता ; और

(3) अनुकूल स्थलाकृतिक संरचनाएं आदि ।

(ग) सी०ई०ए० में लघु जल-विद्युत निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन प्रगति पर हैं । उत्तरी क्षेत्र के राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सम्बन्ध में प्रारूप रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं । अन्य राज्यों से सम्बन्धित प्रारूप रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं । इन अध्ययनों के परिणाम राज्यवार रिपोर्टों के रूप में तैयार किये जायेंगे । उपयुक्त स्थलों का विस्तृत रूप से अन्वेषण किए जाने, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार किए जाने तथा यदि आवश्यक हो, उन्हें तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु सी०ई०ए० को प्रस्तुत किए जाने सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) द्वारा, यदि आवश्यक हो, तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने तथा योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जायेगा ।